न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

पीठासीन अधिकारी, श्री बी.एल.मेहरड़ा, आर0ए0एस0

अपील संख्याः–60 / 2018(2018 / 00060)75 / अजमेर

1. श्रीमती पानी उर्फ पांची पत्नि श्री मांगू
2. सायरी पुत्री श्री मांगू
3. गोपी पुत्र श्री मांगू मृतक जरिये वारिसानः–
   3 / 1. श्रीमती द्रोपदी पत्नि स्व. श्री गोपी
   3 / 2. अर्जुन पुत्र श्री गोपी
   3 / 3. सोनू पुत्री श्री गोपी नाबालिगान जरिये संरक्षक माता श्रीमती द्रोपदी पत्नि श्री गोपी समस्त जाति बावरी, निवासी ग्राम भवानीखेडा तहसील व जिला अजमेर।

अपीलांटस

बनाम

1. राज. सरकार जरिये तहसीलदार अजमेर जिला अजमेर।
2. अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर जरिये सचिव महोदय।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0भू–राजस्व अधिनियम 1955 के आदेश कमांक क.अ. / राजस्व / एफ.12 (सी) () / 13 / 292 दिनांक 27.09.2013।

उपस्थितः–

1. श्री अजीत सिंह राठौड एड़वोकेट अपीलांट की ओर से।
2. राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से।
3. रामकिशोर खदाव रेस्पोडेन्ट संख्या 02 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः–22.02.2019

01. अपीलांट ने यह अपील जिला कलक्टर, अजमेर के आदेश क्रमांक क.अ. / राजस्व / एफ.12 (सी) () / 13 / 292 दिनांक 27.09.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

02. प्रकरण में संक्षिप्त एवम् सारगर्भित तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम भवानीखेडा तहसील अजमेर स्थित आराजीयात वर्किग खसरा संख्या 3008 रकबा 04–15–0 बीघा अपीलांटस के पूर्वज मांगू पुत्र श्री सुखा जाति बावरी को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 21–11–1975 को आवंटन की जाकर कब्जा व दखल सौपा गया एंव आवंटन आदेश की पालना मे गैर खातेदारी हक से नामांतरकरण तस्दीक किया जाकर अधिकार अभिलेख मे अमल दरामद कर दिया गया। तत्पश्चात श्री मांगू फौत होने पर उसकी विरासत का नामांतरकरण संख्या 800 दिनांक 08–11–2004 को तस्दीक किया जाकर अपीलांटस के नाम गैर खातेदारी हक से वर्किग जमाबंदी मे अमल दरामद कर दिया गया। उक्त आवंटन दिनांक से श्री मांगू तत्पश्चात अपलांटस लगातार काबिज काश्त चले आ रहे है। तहसीलदार अजमेर द्वारा आवंटन आदेश दिनांक 21–11–1975 के विरूद्व अपर जिला कलक्टर अजमेर के समक्ष 31 साल बाद प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे स्वीकार कर वादग्रस्त आराजीयात का आवंटन आदेश दिनांक 21.11.1975 निरस्त कर वादग्रस्त आराजीयात को सिवायचक दर्ज करने का आदेश प्रदान किया गया। वर्तमान अपीलांटस आर्थिक रूप से अत्यन्त कमजोर होने के कारण अपर जिला कलक्टर, अजमेर के समक्ष न तो स्वंय उपस्थित हो पाये एवं न ही अभिभाषक नियुक्त कर पाये। जिस पर विद्वान नायब तहसीलदार अजमेर द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 15 / 2006 दिनांक 02–01–2007 को निरस्त फरमा दिया। जिसके विरूद्व राज्य सरकार द्वारा विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर के समक्ष अपील संख्या 41 / 2007 प्रस्तुत की गयी जो दिनांक 21–09–2007 को स्वीकार फरमाई जाकर आवंटन आदेश दिनांक 21–11–1975 निरस्त कर भूमि को

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

सिवायचक दर्ज करने का आदेश प्रदान कर दिया गया। अपीलांट ने जिला कलक्टर, अजमेर के आदेश क्रमांक क.अ./राजस्व/एफ.12 (सी) ()/13/292 दिनांक 27.09.2013 से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की।

03. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेन्टस को नोटिस जारी किये गये, रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 2 की ओर से उनके अभिभाषक उपस्थित हुए, तत्पश्चात अभिभाषक उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी।

04. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने अपील मिमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में जाहिर किया कि वादग्रस्त आराजीयात अपीलांटस के पूर्वज मांगू पुत्र सुवा जाति बावरी को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 21.11.1975 को आवंटन की जाकर कब्जा व दखल सौंपा गया एवं आवटंन आदेश की पालना में गैर खातेदारी हक से नामान्तकरण तस्दीक किया जाकर राजस्व अभिलेख में अमल दरामद कर दिया गया। मांगू पुत्र सुखा के फौत होने पर विरासत का नामान्करण संख्या 800 दिनांक 08.11.2004 को तस्दीक किया जाकर अपीलांटस के नाम गैर खातेदारी हक से वर्किंग जमाबंदी में अमल दरामद कर दिया गया। आवंटन आदेश से मांगू एवं उनके पश्चात अपीलांटस लगातार काबिज काश्त चले आ रहे है। उक्त आवंटन आदेश के 31 वर्ष पश्चात तहसीलदार, अजमेर द्वारा अपर जिला कलक्टर, अजमेर के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राज.भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) पेश किया। जिसे अपर जिला कलक्टर, अजमेर ने दिनांक 2.1.2007 को निरस्त कर दिया गया। उक्त आदेश की अपील राज्य सरकार द्वारा न्याालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की तथा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर ने अपने आदेश दिनांक 21.09.2007 को अपील स्वीकार कर आवंटन आदेश दिनांक 21.11.1975 को निरस्त कर भूमि को सिवायचक दर्ज करने के आदेश दिये, जिसकी पालना में नामान्तकरण संख्या 140 दिनांक 01.11.2007 को भूमि सिवायचक दर्ज कर दी गई। उक्त अपीलीय न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अपीलांट ने अपील मान्नीय राजस्व मण्डल राज.,अजमेर में की गई, जिसे मान्नीय राजस्व मण्डल राज.,अजमेर ने दिनांक 20.10.2016 को स्वीकार कर आवंटन आदेश दिनांक 21.11.1975 को यथावत् रखने के आदेश दिये। मान्नीय राजस्व मण्डल के आदेश से आवंटित भूमि अपीलांटस के नाम दर्ज नही की गई इस बीच जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा आदेश दिनांक 27.09.2013 द्वारा वादग्रस्त आराजी को अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर के नाम दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि जिला कलक्टर, अजमेर ने आदेश दिनांक 27.09.2013 पारित किये है वह विधि सम्मत नही हैं। तहसीलदार, अजमेर से आवश्यक रूप से रिपोर्ट तलब की गयी थी लेकिन पेण्डेन्सी ऑफ लिटिगेशन एवं अपीलांटस काबिज होने बाबत् तहसीलदर, अजमेर द्वारा कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नही की गई। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर वर्किंग खसरा नम्बर 3008 रकबा 04–15–00 बीघा जिसके आधार खसरा नम्बर 491/1443 रकबा 0.75 है0 एवं 492 रकबा 0.02 है0 निरस्त फरमाया जाकर मान्नीय राजस्व मण्डल राज.,अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.10.2016, अपील संख्या 4710/2014 बउनवानी श्रीमती पॉची वगैरह बनाम राज.सरकार जिसमें आवंटन आदेश दिनांक 21.11.1975 बहाल रखा गया की पालना में जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.09.2013को निरस्त फरमाया जावे।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या01 ने दौराने जवाब अपील में निवेदन किया कि इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत हैं इसलिए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया जावें।

6. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 02 ने दौराने जवाब बहस अपील में बताया कि जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.09.2013 को राजस्व रिकार्ड में वादग्रस्त आराजीयात सिवायचक दर्ज थी। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश विधि सम्मत हैं जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही हैं।

7. हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध आधार अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकारान पर मनन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित भूमि का अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर को दिनांक 27.09.2013 को स्थानान्तरण किया है जबकि उक्त दिवस को विवादित आराजी बाबत् अपीलांट द्वारा मान्नीय राजस्व मण्डल में प्रस्तुत अपील विचाराधीन थी। अधीनस्थ न्यायालय की शर्त संख्या 07 के तहत् हस्तांतरित आराजीयात बाबत् किसी भी न्यायालय में लंबित वाद, स्थगन इत्यादि होने पर जिला कलक्टर के आदेश के अप्रभावित रहने बाबत् उल्लेख है। इस प्रकार उक्त भूमि का स्थानान्तरण अपील के लंबित रहते हुआ है, जो विधि सम्मत नही है। उक्त कानूनी स्थिति के अतिरिक्त प्रकरण में उल्लेखनीय तथ्य यह है कि न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 21.09.2007 के विरूद्ध अपील एलआर/ 4710/2014 मान्नीय राजस्व मण्डल राज.,अजमेर में प्रस्तुत की गई थी जिसमें मान्नीय राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 20.10.2016 को निर्णय पारित हुए अपील को स्वीकार करते हुए यह माना कि जहॉ तक आवंटन से किसी रास्ते के अवरूद्ध होने का प्रश्न है तो इसमें आवंटी की कोई गलती नही हैं। आवंटी द्वारा किसी महत्वपूर्ण तथ्यों को नहीं छिपाया गया हैं तथा आवंटी द्वारा फर्जकारी तरीके से आवंटन नहीं करवाया माना है। इस प्रकार आवंटन के बाबत् मान्नीय राजस्व मण्डल द्वारा निर्णय दिनांक 20.10.2016 को पारित किया जा चुका हैं। वर्तमान में मान्नीय राजस्व मण्डल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.10.2016 अंतिम रूप ले चुका हैं। मान्नीय राजस्व मण्डल के इस आदेश के प्रभावी हैं।

8. उक्त विश्लेषण एवं विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचते है कि प्रश्नगत आवंटन विद्यमान है एवं आवंटन नियमों के तहत् उचित रूप से किया गया है तथा विधि विरूद्ध नही है।

9. उक्तानुसार विधिक त्रुटियों के मध्यनजर जिला कलक्टर,अजमेर के आदेश दिनांक 27.09.2013 को यथावत् नही रखा जा सकता है तथा इसी कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

10. अतः अपील अपीलांटस स्वीकार की जाती है तथा विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित आदेश क्रमांकः कअ/राजस्व/एफ.12 (सी)13/292 दिनांक 27.09.2013 को खसरा नम्बर 491/1443 रकबा 0.75 है. एवं खसरा नम्बर 492 रकबा 0.02 है. वाकै ग्राम भवानीखेड़ा तहसील अजमेर की हद तक निरस्त किया जाता हैं । पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

22/2/19

(बी.एल.मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकरी,
अजमेर

11. आदेश आज दिनाक 22.02.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

22/2/19

(बी.एल.मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकरी,
अजमेर